N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0118 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/05/2025 19:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/05/2025 **Time (समय):** 15:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/05/2025 19:47:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RADHA RANI HOTEL, MEHANDIPUR BALAJI DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): MEHANDIPUR BALAJI **District(State) (जिला (राज्य)):** DAUSA(RAJASTHAN)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SHIVRAM MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): BODANRAM MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1978 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MACHANKAPURA, TEHSIL, MAHUWA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MACHANKAPURA, TEHSIL, MAHUWA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESH CHAND TIWARI		पिता:SATAYNARAYAN	1. VRTAADHIKAAREE,VRAT MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN, INDIA
2	RAMDEV JAAT		पिता:MIHILAL	1. HAAL HEAD CONSTABLE 150,VRAT KARYALAY MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN, INDIA
3	VISHNU KUMAR MEENA		पिता:RAMPHOOL MEENA	1. BALAHEDI,TEHSIL MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN,

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	50000 रुपये रिश्वती राशि बरामद की गई।	50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 14.05.2025 को समय करीब 03.30 पीएम पर परिवादी श्री शिवराम मीना पुत्र श्री बोदनराम मीना उम्र 47 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम मचानकापुरा, तहसील महवा जिला दौसा अपने जीजा श्री रमेश मीना उर्फ पप्पू निवासी ग्राम मीना सीमडा तहसील सिकराय जिला दौसा के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को सम्बोधित करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट पेश की। जिसका अवलोकन किया गया, तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि दिनांक 03.04.2025 को श्री लक्ष्मण मीना निवासी ग्राम मचानका द्वारा मेरे पुत्र श्री आशिश व श्री कमलेश पुत्र श्री पप्पूराम मीना के विरूद्व पुलिस थाना महवा जिला दौसा में मुकदमा नम्बर 153/2025 अन्तर्गत धारा 70 (1) 351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 5 (जी) 16 पोक्सो एक्ट 2012 में दर्ज करा दी गई। जबकि मेरे पुत्र आशिश का उक्त अपराध से कोई लेना देना नही है। दर्ज करवाये गये उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब महवा जिला दौसा रमेश चन्द तिवाडी जी कर रहे है। श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ साहब ने मुझे अपने दलाल श्री विष्णु डीलर ग्राम बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा के साथ अपने पास बुलाया तथा मेरे पुत्र की उक्त प्रकरण में मदद करने व उसके खिलाफ केस को कमजोर बनाने व गिरफतारी के लिए समय देने की एवज में मेरे से 2,50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रूपये श्री विष्णु डीलर को देने के लिए कहा। मैने कहा कि साहब मेरे पुत्र का तो इस प्रकरण से कोई लेना देना नही है उसको गलत फसाया जा रहा है। इस पर सीओ साहब ने मुझे धमकाते हुये कहा कि आपको कहा है उतना ही करो नही तो आपके पुत्र को हवालात में बन्द कर जेल भिजवा दिया जायेगा। अगर तेरे पुत्र की हैल्प करवानी है तो मैने जो कहा है वह करे। मैने मेरे पुत्र को झुठे प्रकरण में फसाने के डर से सीओ साहब के कहे अनुसार श्री विष्णु डीलर को 1,50,000 रूपये करीब 10-12 दिन पहले मेरे जीजा श्री रमेश मीना को साथ ले जाकर दे दिये गये। लेकिन उसके बाद भी सीओ साहब आये दिन स्वंय व अपने दलाल के मार्फत मुझे व मेरे परिवार को तगं करते है तथा शेष रिश्वत की मांग अपने दलाल श्री विष्णु डीलर के मार्फत बार-बार कर परेशान कर रहे है। मै जायज काम के लिए सीओ साहब व उसके दलाल श्री विष्णु डीलर को रिश्वत नही देना चाहता हूॅ और उन्हे रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। मेरी उनसे कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया गया। तत्पश्चात परिवादी के जीजा श्री रमेश मीना से पूछताछ की गई तो उसने भी परिवादी की बातो की ताईद की गई। इसके बाद परिवादी को कार्यवाही के लिए मांग सत्यापन के बारे में बताया गया तो परिवादी ने बताया कि दलाल विष्णु डीलर आज जगतपुरा जयपुर है और वह हमें वही बुलाया है एंव वह हमारे सामने ही अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सीओ साहब से बात करता है तथा मेरे साथ मेरा जीजा भी जायेगा क्योकि पैसे का लेन देन दलाल विष्णु इनके सामने ही करते है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर नया एसडी कार्ड लगाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी व उसके जीजा के साथ श्री लोकेश कुमार कानि0 155 को भिजवाकर मांग सत्यापन करवाया गया तो मांग सत्यापन में आरोपी विष्णु कुमार मीना द्वारा वृत्ताधिकारी वृत महवा द्वारा परिवादी के पुत्र के विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने व गिरफ्तारी में समय देने के लिये 2,50,000/-रूपये के लिये कहना जिनमें से 1,50,000/- रूपये पूर्व में प्राप्त कर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। इसके बाद दिनांक 16.05.2025 को दो स्वतंत्र गवाह तलब कर गवाहान एवं परिवादी एवं उसके जीजा

के समक्ष मांग सत्यापन वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर की सहायता से चालू कर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर दो एसडी कार्ड 16 जीबी न्यायालय हेतु एवं तीन डीवीडी आरोपीगण हेतु एवं एक डीवीडी आई/ओ हेतु तैयार कर उन सब पर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, व A-6, अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर जमा मालखाना करवाया गया। उक्त वार्ता में आई आवाज की पहचान कर परिवादी ने अपनी स्वंय की अपने जीजा रमेश मीना की तथा आरोपीगण श्री विष्णु कुमार मीना, श्री रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी वृत्त महवा व उसके रीडर श्री रामदेव जाट की होना बताया। इसके बाद दिनांक 17.05.2025 को परिवादी व गवाहान उपस्थित होने पर परिवादी को आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये 100 नोट कुल 50,000/-रूपये निकालकर पेश किये जिनके नम्बरो का वर्णन फर्द पेशकषी रिश्वत राशि में अंकित कर नोटो पर श्री रामखिलाडी कानि 52 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी की जामा तलाषी गवाह श्री हरिराम जाट से लिवाई जाकर पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 50 हजार रूपये परिवादी के पहने हुये कुर्ते की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी को ईशारा सिर पर हाथ फेरने व उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल व मिस कॉल करने का बताया गया। गवाहान व परिवादी को फिनालफथैलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के मेल झोल के बारे प्रदर्शन देकर समझाया गया तथा परिवादी को वर वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ता को टेप करने के लिए वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय करीब 1.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, परिवादी के जीजा श्री रमेश मीना व स्टाफ सदस्यों के दो प्राईवेट व सरकारी वाहन मय चालक के ट्रेप बाक्स लैपटॉप व प्रिन्टर एंव साजो सामान के वास्ते ट्रेप कार्यवाही कार्यालय से रवाना होकर बालाजी मोड पर पहुचे, जहा पर परिवादी ने आरोपी विष्णु कुमार मीना से उसके मोबाईल पर वार्ता कर राधा रानी होटल के लिए कहा गया। समय करीब 02.15 पीएम पर आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना एक अन्य व्यक्ति के साथ अपनी गाडी नम्बर आरजे 29 सीबी 1295 मारूती सुजुगी विटारा ब्रेजा से श्री राधारानी होटल पर आया और परिवादी से वार्ता कर उस होटल के बरामदे में बैठ गये। कुछ समय बाद बरामदे से उठकर कोने के कमरे में चले गये। तत्पश्चात समय करीब 02.25 पीएम पर श्री राधा रानी होटल के दाहिने तरफ कोने में बने कमरे के मुख्य द्वार पर खडा होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार श्री राधा रानी होटल पर खडा था। तो श्री विष्णु कुमार मीणा श्री संजय कुमार मीणा के साथ आया इसके बाद मै और मेरा जीजा रमेश तथा ये दोनों होटल के दाहिने और बने बरामदे में बैठ गये कुछ समय बाद बरामदे से उठकर कोने में बने इस कमरे में बैठ गये तत्पश्चात मैने श्री विष्णु कुमार को मेरे बेटे के लिए सहायता करने बाबत कहा तो विष्णु ने कहा कि मेरी सीओ साहब से बात हो गयी है आपके बच्चे की मदद हो जायेगी। इसके बाद मैने कहा कि बच्चे को 21 तारीख को दे देगे। इस पर श्री विष्णु कुमार ने कहा की मेरी बात मत पिटवा देना पहले भी बात पीट चुकी है। इस पर मैने कहा कि मै आपकी बात नही पिटने दूंगा 21 को बच्चे को दे दूगाँ। लेकिन विष्णु भाई मै तेरे सामने हाथ जोड रहा हू मैने आपको सीओ साहब के लिए पहले डेढ लाख रूपये दे दिये और 50,000/-रूपये ये लो। इस पर श्री विष्णु कुमार ने मेरे से पाउडर युक्त 50,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ में ले लिये और फिर कहॉ की आपके डेढ लाख रूपये पहले आ गये और 50,000/-रूपये ये आ गये आपके दो लाख रूपये हो गये, लेकिन सीओ ने ढाई लाख के लिये कहा था अगर वह नही मानेगा तो आपको पचास हजार रूपये और देने पडेंगे। इस पर मैने कहा की ठीक है आप सीओ साहब से बात कर लो तब श्री विष्णु कुमार ने अपने मोबाइल से सीओ साहब के मोबाइल पर अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर वार्ता कर कहा कि साहब आपका पूरा सामान आ गया है और ये बच्चे को 21 तारीख को दे देगें तब सीओ साहब ने कहा की इनसे अच्छी तरह से बात कर लेना। इसके बाद मैने मौका पाकर आपको नियत ईशारा कर दिया। तत्पश्चात परिवादी ने उक्त कमरे में पेंट शर्ट पहने एवं चश्मा लगाये हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की साहब ये ही श्री विष्णु कुमार मीणा जी है जिन्होने मेरे से मेरे पुत्र के विरूद्व दर्ज प्रकरण में सीओ साहब के कहे अनुसार एक लाख पचास हजार रूपये पूर्व में एवं पचास हजार रूपये अभी मेरे से प्रकरण में मदद करने व गिरफतारी में समय देने के लिये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त की है जो अभी भी इनके हाथ में ही है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त पेंट शर्ट पहने एवं चश्मा लगाये हुये व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु कुमार मीना पुत्र श्री रामफुल मीना उम्र 38 साल निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री विष्णु कुमार मीना को परिवादी श्री शिवराम मीना से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 14.05.2025 को सीओ साहब द्वारा 2,50,000/-रूपये रिश्वत की कहने एवं उक्त रिश्वत में से 1,50,000/- रूपये पूर्व में ही प्राप्त कर एक लाख रूपये की और मांग करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 17.05.2025 को वरवक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि 50,000 /-रूपये बाबत पूछा गया, की आपने उक्त राशि परिवादी से किसके लिये एवं किस काम के लिये लिऐ है तो आरोपी श्री विष्णु कुमार ने बताया कि साहब श्री शिवराम मीना के पुत्र श्री आशिष के विरूद्व पुलिस थाना महुवा में प्रकरण संख्या 153/2025

पोक्सो एक्ट में दिनांक 03.04.2025 को दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान श्री रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी वृत कार्यालय महुवा कर रहे है जिनसे श्री शिवराम के बच्चे के संबंध में बात करने के लिए श्री शिवराम मीणा करीब 10-15 दिन पूर्व मेरे पास आया था और मुझे अपने पुत्र की उक्त प्रकरण में सीओ साहब से मदद करवाने के लिए कहा तो मैने इनके कहे अनुसार श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ साहब से वार्ता की तो सीओ साहब ने मुझे इनके पुत्र आषिश की उसके विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने व गिरफ्तारी में समय देने के लिए श्री शिवराम से दो लाख पचास हजार रूपये लेने के लिए कहा था और कहा कि जब भी मेरे से इस सम्बन्ध में वार्ता करे तो मोबाइल पर पैसे की बात मत करना पैसे के स्थान पर सामान के नाम से वार्ता करना। इस पर मैने सीओ साहब के कहे अनुसार इनको दो लाख पचास हजार रूपये देने के लिए कहा था। इस पर शिवराम का भाई मास्टर व इसका जीजा श्री रमेश 10-12 दिन पूर्व मुझे एक लाख पचास हजार रूपये देकर आये थे जिसके लिए मैने सीओ साहब को फोन पर वार्ता कर बताया तो मुझसे उक्त रूपये जयपुर में हल्दी घाटी गेट के पास प्रताप नगर में किसी व्यक्ति को दिलवाये थे। इसके बाद श्री शिवराम मीणा व इसका जीजा श्री रमेश मीना ने दिनांक 14.05.2025 को मेरे से मोबाइल पर वार्ता की और मिलने के लिए कहा तो मैने इनको जगतपुरा फाटक के पास कृष्णा होटल पर मिलने के लिए कहा तो ये समय करीब शाम 06ः15 पीएम पर मेरे से कृष्णा होटल जगतपुरा फाटक पर मिले तो श्री शिवराम मीना ने मेरे से अपने पुत्र के विरूद्व दर्ज प्रकरण के बारे में वार्ता की तो मैने कहा कि आपके पुत्र की मदद सीओ साहब कर देगें। मेरी सीओ साहब से वार्ता हो गई है। इस पर श्री शिवराम मीना ने मुझे कहा कि मेरे घर अभी भी रोज पुलिस जाती है तो मैने कहा कि पोक्सो एक्ट का मामला है पुलिस को जल्दी कार्यवाही करनी पडती है उनकी भी नोकरी है, लेकिन आपके लडके की सहायता सीओ साहब कर देगें आप अपने लडके को पेश कर दो। फिर श्री शिवराम मीना ने मेरे को सीओ साहब से वार्ता कर दिनांक 23.05.2025 तक मौहल्लत दिलवाने के लिए कहा। इस पर मैने मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सीओ साहब से वार्ता कि और कहा कि साहब वो लडका है ना, इस पर सीओ साहब ने कहा कि आशिष, इस पर मैने कहा की हॅा, साहब उसका पिताजी आया है और वह सात दिन कि और मोहल्लत मांग रहा है फिर बच्चे को पेश कर देगें। इस पर सीओ साहब ने कहा कि फिर क्या हो जायेगा, फिर मैने कहा की साहब आपने जिस काम के लिये कहा था वो काम तो कर दिया है। तब सीओ साहब ने कहा कि देख लो एक दो दिन में करे तो बात कर लेना। इसके बाद मैने सीओ साहब के रीडर श्री रामदेव जाट से मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर वार्ता कि और उसको कहा कि उस लडके के पिता, फुफो मिल्या कि एक दो दिन में तुमको, तब रीडर रामदेव जाट ने कहा कि हॉ मिल्या था। इसके बाद मैने उसको कहा की सीओ साहब को भी मैने कह दिया है और आपको भी कह रहा हूँ आपका काम तैयार है, तब रीडर रामदेव जाट ने कहा कि ठीक है इसके बाद मैने श्री शिवराम मीना को कहा की 2,50,000 रूपये की कही सीओ साहब ने 1.50.000 रूपये आपके आ गये एक लाख रूपये और दे देना। इसके बाद आज दिनांक 17.05.2025 को श्री शिवराम ने मुझे उक्त रूपये देने के लिये मिलने बाबत कहा तो मैने इनको बालाजी मोड पर मिलने के लिये कहा था कुछ समय पहले इनका मेरे पास फोन आया और मुझे राधा रानी होटल पर मिलने के लिये कहा तो मै राधा रानी होटल पर श्री संजय के साथ आया तो होटल पर मुझे शिवराम व इसका जीजा रमेश उपस्थित मिले फिर हम चारों होटल के दाहिनी और बरामदे में बैठ गये कुछ समय बाद हम बरामदे से उठकर होटल के कोने में बने कमरे में चले गये और वहॉ बैठकर वार्ता करने लगे तो श्री शिवराम ने मुझे अपने बेटे के लिए सहायता करने बाबत कहा तो मैने कहा की सीओ साहब से बात हो गयी है आपके बच्चे की मदद हो जायेगी। इस पर शिवराम ने बच्चे को 21 तारीख को देने के लिए कहा तो मैने कहा की मेरी बात मत पिटवा देना पहले भी बात पीट चुकी है। इस पर शिवराम मीना ने कहा की मै आपकी बात नही पिटने दूंगा 21 को बच्चे को दे दूगॉ। सीओ साहब के लिए पहले डेढ लाख रूपये दे दिये और 50,000/-रूपये ये लो। इस पर मैने श्री शिवराम से उक्त 50,000/- रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर इनको कहा की डेढ लाख रूपये आपके पहले आ गये और 50,000/-रूपये ये आ गये आपके दो लाख रूपये हो गये लेकिन सीओ ने ढाई लाख के लिये कहा था अगर वह नही मानेगा तो आपको पचास हजार रूपये और देने पडेंगे। इस पर शिवराम ने कहा की ठीक है आप सीओ साहब से बात कर लो तब मैने अपने मोबाइल से सीओ साहब के मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर वार्ता कर कहा कि साहब आपका पूरा सामान आ गया है और ये बच्चे को 21 तारीख को दे देगें तब सीओ साहब ने कहा की इनसे अच्छी तरह से बात कर लेना। इनके द्वारा मेरे को दिये गये पचास हजार रूपये जब ये शिवराम मेरी तरफ आपको ईशारा कर रहा था तब मै समझ गया कि कुछ गडबड है इसलिए मैने उक्त रूपयो को चारपाई की तरफ फर्श पर फेंक दिया जो अभी भी फर्श पर पडे है। मैने श्री शिवराम मीना से कोई रिश्वत नही ली है उक्त दो लाख रूपये श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ साहब महुवा जिला दौसा के लिए उनके कहे अनुसार लिये है जो डेढ लाख रूपये उनके कहे अनुसार जयपुर में 10-12 दिन पूर्व हल्दीघाटी गेट के पास प्रताप नगर में उनके द्वारा भेजे गये व्यक्ति को दे दिये थे जिनका मै नाम नही जानता हूँ तथा ये पचास हजार रूपये भी मै सीओ साहब को ही देता। इस पर पास ही खडे परिवादी से पुनः पुछा गया तो परिवादी ने पूर्व में बताई बातो की ताईद की। इसके बाद आरोपी द्वारा ट्रेप टीम को अपनी और आते हुये देखकर परिवादी से लिये गये पचास हजार रूपये को उक्त कमरे में चारपाई की तरफ जमीन पर फेके थे उक्त पाउडर युक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री हरिराम जाट कनिष्ठ सहायक से उठवाकर उनके पास सुरक्षित रखवाये गये एवं उक्त रूपयो की गवाह से उठाते हुये की विडियोग्राफी बनवाई गई। तत्पश्चात आरोपी को कहा की यदि आपने उक्त रिश्वती राशि सीओ महुवा के लिये ली है तो अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर सीओ से वार्ता कर तो

आरोपी ने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर सीओ के मोबाइल पर वार्ता की और कहा की साहब वो रूपये आपके आ गये है कहा देने है तो सीओ ने कहा की रूपये पैसे की बात मत कर उनको पेश करने के लिये कहो। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी को कहा की सीओ तो पैसे के लिये मना कर रहा है। तो आपने पैसे किसके लिये लिऐ है तो आरोपी ने कहा की सीओ साहब ने मुझे पूर्व में ही फोन पर रूपये पैसे की बात करने के लिये मना कर रखी है रूपये पैसे की जगह सामान के नाम से बात करने के लिये कहा था। आरोपी श्री विष्णु द्वारा बताई गई उक्त बातो की ताईद फर्द मांग सत्यापन व परिवादी के कथनों से भी ताईद होती है। इसके बाद आरोपी की उसके मोबाइल से सीओ के रीडर श्री रामदेव जाट के मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी तो आरोपी द्वारा रामदेव जाट रीडर को कहा की उस लडके के लिये 21 तारीख को देने के लिये कहा है सीओ साहब से मेरी बात हो गयी है उनके पैसे आ गये है पैसे आपको देने के लिये कहा है बताओ कहा और कब दूॅ तो रीडर रामदेव जाट ने कहा की ठीक है कभी भी दे देना आपकी मर्जी हो जब दे देना, इस पर आरोपी ने कहा की डेढ लाख रूपये तो सीओ साहब ने जयपुर दिलवा दिये पचास हजार रूपये आज दिये है जो मै आपको दे दूंगा तब श्री रामदेव जाट रीडर ने कहा की कोई दिक्कत नही है। श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ व श्री रामदेव जाट से आरोपी विष्णु की मोबाईल पर हुई वार्ता अनुसार दोनों को तलब करने हेतु श्री बनवारीलाल हैड कानि0, श्री दौलतराम हैड कानि0 व श्री राकेश कुमार कानि0 व श्री मुकेश चन्द कानि0 को जरिये सरकारी वाहन मय चालक कानि कैलाश चन्द के उनके कार्यालय व निवास के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात मौके पर काफी भीड होने व हा-हल्ला होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों से पकडने बाबत कहा तो श्री लोकेश कुमार कानि0 नं. 155 ने आरोपी का बांया हाथ एवं स्वतंत्र गवाह डॉ0 नरेश कुमार शर्मा ने आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से अलग-अलग पकड लिये। इसके बाद आरोपी के दोनों हाथों को पकडे हुए ही मय स्टाफ सदस्यों को वाहनों में बैठाकर एवं आरोपी के वाहन को साथ लेकर श्री राधा रानी होटल बालाजी से थाना बालाजी के लिये रवाना होकर समय करीब 02ः55 पीएम पर पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी में पहुंचे। जहां पर आरोपी को हाथ पकडे हुए ही वाहन से निचे उतार कर वाहनो को थाने पर खडा कर थानाधिकारी कक्ष में आरोपी श्री विष्णु को बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई । तत्पश्चात् पुलिस थाना बालाजी में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे ंमौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी व गदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1,R-2 व L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात गवाह श्री हरिराम जाट से आरोपी द्वारा ट्रेप टीम को देखकर रिश्वती राशि पचास हजार रूपये को कमरे की फर्श पर चारपाई की तरफ फेके गये थे एवं जिनको गवाह से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना, श्री रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी महवा जिला दौसा व उनके रीडर श्री रामदेव जाट के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष वर वक्त रिश्वत राशिलेन देन के समय परिवादी, परिवादी के जीजा श्री रमेश मीना व आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना, श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ एंव उसके रीडर श्री रामदेव जाट के मध्य रूबरू व मोबाईल पर हुई वार्ता के वाईस रिकॉर्डर को लैपटॉप की सहायता से चालूकर सुना जाकर शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में परिवादी ने अपनी आवाज, अपने जीजा रमेश मीना की आवाज व आरोपी श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ, रीडर श्री रामदेव जाट, दलाल श्री विष्णु कुमार व श्री सजंय की आवाज की पहचान की गई। तत्पश्चात उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से दो एसडी कार्ड Sandisk 16 GB न्यायालय हेतु व तीन डीवीडी आरोपीगण हेतु एंव एक डीवीडी आई/ओ हेतु तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर एसडी कार्ड व डीवीडी पर मार्क- B-1, B-2, B-3,B-4,B-5 व B-6 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगण श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ व उसके रीडर श्री रामदेव जाट की स्टाफ सदस्यों से पतारसी करवाई गई लेकिल दोनों आरोपीगण अपने कार्यालय, निवास व किराये के कमरे को लॉक कर मोबाईल स्विच आफॅ

कर लिया गया। मांग सत्यापन वार्ता व वर वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय काम लिये गये मैमोरी कार्ड को जरिये फर्द जब्त किया गया। इसके बाद बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई के समय विडियोग्राफी के लिए काम लिये गये मैमारी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से डीवीडी तैयार कर मार्क - V-1, V-2, V-3,V-4,V-5 व V-6अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सीलमोहर कर मूल मैमोरी कार्ड को जब्त किया गया। आरोपी के वाहन नम्बर आरजे 29 सीबी 1295 मारूती सुजुगी विटारा ब्रेजा को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना दलाल को जरिये फर्द जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। परिवादी के पुत्र आशिष के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सख्या 153/2025 की पत्रावली की प्रमाणित जरिये फर्द जब्त की गई। इसके बाद आरोपी विष्णु कुमार मीना का मोबाईल वीवो कम्पनी एन्ड्रोइड मय सीम नम्बर [redacted] जिससे आरोपी श्री रमेश चन्द तिवाडी सीओ व उसके रीडर से जरिये वाट्सअप कॉल मांग सत्यापन वार्ता एंव रिश्वत राशिलेन देन से पूर्व व पष्चात लगातार वार्ता हुई है एंव जिनसे आरोपीगण की आपसी मिलीभगत को होना प्रमाणित पाया गया है उन कॉल्स के स्क्रिन सॉट लिये जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्राली किये गये एंव मोबाईल को जरिये फर्द जब्त किया गया। आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना को जरिये फई अपनी नमूना आवाज देने बाबत कहा गया तो ईन्कार किया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में काम ली गई नमूना ब्रास सील पीतल नं. 51 को जरिये फर्द नष्ट करवाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी वृत्त कार्यालय महवा जिला दौसा उनका रीडर श्री रामदेव जाट एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने दलाल आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना से आपराधिक शडयंन्त्र रचते हुए परिवादी श्री शिवराम मीना पुत्र श्री बोदनराम मीना उम्र 47 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम मचानकापुरा, तहसील महवा जिला दौसा से पुलिस थाना महुआ जिला दौसा में उसके पुत्र आशिष के विरूद्ध पोक्सो एक्ट मे दर्ज प्रकरण संख्या 153/2025 मे मदद करने व गिरफतारी मे समय देने की ऐवज में आरोपी श्री विष्णु कुमार मीना द्वारा स्वंय एवं श्री रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी वृत्त महवा जिला दौसा एवं उसके रीडर श्री रामदेव जाट के लिए उनके कहे अनुसार मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.05.2025 को परिवादी से 1.50 लाख रूपये पूर्व में प्राप्त करना एवं एक लाख रूपये रिष्वत की और मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 100,000/-रूपये मे से दिनांक 17.05.2025 को 50,000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर ट्रेप टीम को देख कर होटल राधा रानी बालाजी के कमरे की फर्श पर फैकना तथा उक्त रिश्वत राशि कमरे की फर्श से बरामद होना एवं तीनो आरोपीगण के मोबाईल पर मांग सत्यापन से पूर्व, मांग सत्यापर के समय एवं रिश्वत राशि लेन देन के समय बार बार व्हाट्सएप कॉल पर वार्ता होना तथा रिश्वत राशिमांग सत्यापन व लेन देन वार्ता मे आरोपी रमेश चन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी द्वारा आरोपी विष्णु कुमार मीना को मोबाईल वार्ता मे रिश्वती राशि के रूपयो बाबत् सामान के नाम से वार्ता करने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाये जाने पर एवं कार्यवाही के तुरन्त बाद भी रमेश चन्द तिवाडी वृताधिकारी वृत्त महुवा एवं उनके रीडर श्री रामदेव जाट द्वारा मोबाइल बंद कर अपने निवास से रूपोश होने व परिवादी के पुत्र आशिष के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 153/2025 पुलिस थाना महुवा की पत्रावली की प्राप्त प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के पुत्र का कार्य श्री रमेशचन्द तिवाडी वृत्ताधिकारी वृत्त महुवा जिला दौसा के पास पेण्डिंग होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री रमेश चन्द तिवाडी पुत्र श्री सत्य नारायण निवासी ग्राम/पोस्ट फागी जिला जयपुर हाल उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत्त महवा जिला दौसा एवं श्री रामदेव जाट पुत्र मीहीलाल निवासी ग्राम चैनपुर पोस्ट गंगवाना वाया सेवर तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल हैड कानि नं0 150 रीडर वृत्तधिकारी वृत्त महवा जिला दौसा व श्री विष्णु कुमार मीना पुत्र श्री रामफुल मीना उम्र 38 साल निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा .....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस में आरोपीगण 1. श्री रमेश चन्द तिवाडी पुत्र श्री सत्य नारायण निवासी ग्राम/पोस्ट फागी जिला जयपुर हाल उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत्त महवा जिला दौसा, 2. श्री रामदेव जाट पुत्र मीहीलाल निवासी ग्राम चैनपुर पोस्ट गंगवाना वाया सेवर तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल हैड कानि नं0 150 रीडर वृत्ताधिकारी वृत्त महवा जिला दौसा व 3. श्री विष्णु कुमार मीना पुत्र श्री रामफुल मीना उम्र 38 साल निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सिहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जयपुर-ग्रामीण को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 335 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 690-94

दिनांक 18.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या-2 जयपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जयपुर-चतुर्थ, 3.महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर, 4. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/05/2025 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/02/1972				
2	Male	18/12/1979				
3	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)